कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत निर्माण कार्यो को पुनः प्रारम्भ किये जाने हेतु मानक प्रचलन प्रक्रिया

(Standard Operating Procedure)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

प्रस्तावना :– कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा दिनांक 03.05.2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। अति आवश्यक निर्माण कार्यो को प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करते हुये पुनः प्रारम्भ किये जाने की स्थिति में मानक प्रचलन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित किया जाना आवश्यक है, ताकि निर्माण कार्य के दौरान श्रमिकों एवं अन्य कार्मिकों के मध्य कोरोना संक्रमण का प्रसार न हो। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में विभिन्न ठेकेदारों/बिल्डरों द्वारा पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु निम्नलिखित SOP निर्धारित किया जाता है।

उद्देश्य :– यह SOP निर्माण स्थल पर तैनात श्रमिकों, कर्मचारियों एवं अन्य आगन्तुकों के मध्य कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु शीर्ष–मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगा।

पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया :–

(i) ठेकेदार/बिल्डर को संलग्नक–1 पर उपलब्ध प्रारूप पर प्राधिकरण में आवेदन करना होगा।

(ii) संलग्नक–2 पर उपलब्ध घोषणा पत्र उपरोक्त प्रारूप के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

(iii) आवेदन पत्र तथा घोषणा पत्र का प्रारूप प्राधिकरण की वैबसाईट http://gdaghaziabad.in/ पर लिंक के रूप में उपलब्ध है। यह प्रारूप डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षर उपरान्त (संलग्नकों सहित) प्राधिकरण की ई–मेल secgda@gmail.com पर अपलोड करना होगा। आवेदन पर लिये गये प्रशासनिक निर्णय की सूचना आवेदक को उसके ई–मेल पर प्रेषित की जायेगी।

स्कोप :– यह SOP गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में ठेकेदारों/बिल्डरों द्वारा निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ करने की स्थिति में समस्त श्रमिकों, अन्य कार्मिको, ठेकेदारों/बिल्डर, उनके पार्टनर एवं अति आवश्यक कार्यो से कार्य स्थल पर आने वाले समस्त व्यक्तियों पर लागू होगा।

<u>Standard Operating Procedure</u> :– SOP को निम्नानुसार चार भागों में बाटा जाता है :–

<u>सेक्शन–1</u> :– वह नियम जो कार्य स्थल एवं स्थल पर उपस्थित सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे।

<u>सेक्शन–2</u> :– श्रमिकों एवं कार्मिकों हेतु दिशा–निर्देश।

<u>सेक्शन–3</u> :– निर्माण सामग्री, मशीनरी तथा T&P से सम्बन्धित दिशा–निर्देश।

<u>सेक्शन–4</u> :– सामान्य निर्देश।

<u>सेक्शन–1</u> :– <u>वह नियम जो कार्य स्थल एवं स्थल पर उपस्थित सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे।</u>

1.1– कार्य स्थल पर उपस्थित होने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ एक फोटोयुक्त परिचय पत्र रखेगा, जो सक्षम अधिकारी अथवा ठेकेदार/बिल्डर (अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि) द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

1.2– कार्य स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दूरी (Social distancing) के नियम का पालन करना होगा।

1.3– कार्य स्थल पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग की जायेगी, जिसका समुचित रिकार्ड ठेकेदार/बिल्डर को रखना होगा। प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर यह रिकार्ड प्रस्तुत करना होगा।

1.4– कार्य स्थल के प्रवेश द्वार पर हैंडवाश, पानी तथा सेनिटाईजर की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति स्थल पर आते समय तथा स्थल से जाते समय अपने हाथो को आवश्यक रूप सेनिटाईज करेगा।

1.5– कार्य स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को अपना मुँह तथा नाक को ढकने हेतु उचित मास्क का प्रयोग करना होगा।

1.6– कार्य स्थल पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब, गुटका, तम्बाकू आदि का प्रयोग नही किया जायेगा। स्थल पर थूकना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

1.7– कार्य स्थल पर भोजन ग्रहण करते समय सभी व्यकितयों द्वारा सामाजिक दूरी (Social distancing) का पालन किया जायेगा।

1.8– कार्य स्थल पर सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जायेगा तथा स्थल को प्रतिदिन निर्धारित तरीके से डिसइन्फेक्ट किया जायेगा।

1.9– कार्य स्थल पर अति आवश्यक व्यकितयों को छोडकर बाहरी व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित होगा।

1.10– कार्य स्थल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अफवाह फैलाया जाना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

<u>सेक्शन–2</u> :– <u>श्रमिकों एवं कार्मिकों हेतु दिशा–निर्देश।</u>

2.1– स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी श्रमिकों का मैडिकल चैकअप कराया जायेगा, जिसका रिकार्ड ठेकेदार/बिल्डर को प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।

2.2– श्रमिकों को साईट के बाहर से नही लाया जायेगा। निर्माण के सम्बन्ध में स्थल पर आने वाले कोई भी कर्मचारी हॉटस्पोट/कन्टेन्मेन्ट जोन से सम्बन्धित नही होने चाहियें।

2.3– केवल असंक्रमित श्रमिकों को ही स्थल पर कार्य करने की अनुमति होगी।

2.4– प्रत्येक श्रमिक के साथ निवास करने वाले परिवारिक सदस्यों का विवरण ठेकेदार/बिल्डर अपने पास अवश्य रखेंगे।

2.5– खाद्य–सामग्री एवं दैनिक उपयोग की अन्य अति आवश्यक वस्तुऐं श्रमिकों को स्थल पर ही उपलब्ध करायी जायेंगी। विशेष परिस्थितियों में जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर ही श्रमिकों को स्थल से बाहर आना–जाना अनुमन्य होगा।

2.6– श्रमिकों के आवास हेतु इस प्रकार व्यवस्था की जायेगी कि सामाजिक दूरी (Social distancing) का पालन अवश्य हो।

2.7– Bio-Metric Attendance की व्यवस्था नही की जायेगी।

2.8– लिफ्ट के स्थान पर जीने से आने–जाने को प्राथमिकता दी जायेगी।

<u>सेक्शन–3</u> :– <u>निर्माण सामग्री, मशीनरी तथा T&P पर लागू होने वाले दिशा–निर्देश।</u>

3.1– कार्य स्थल को प्रतिदिन Disinfect किया जायेगा।

3.2– बाहर से आने वाली निर्माण सामग्री को पूर्व निर्धारित स्थल पर एकत्रित किया जायेगा। ऐसा स्थल श्रमिकों के आवास से पर्याप्त दूरी पर होगा। निर्माण सामग्री हेतु प्रयुक्त वाहन एवं निर्माण में प्रयुक्त मशीनरी एवं सयंत्रों को Disinfect किये बिना उपयोग में नही लाया जायेगा।

3.3– उपरोक्त को Disinfect करने हेतु लगाये गये कार्मिक ग्लवस्, मास्क आदि का उपयोग कर स्वयं को संक्रमण से सुरक्षित रखेंगे।

<u>सेक्शन–4</u> :– <u>सामान्य निर्देश।</u>

4.1– ठेकेदार/बिल्डर द्वारा स्थल पर एक कोविड मार्शल नियुक्त किया जायेगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि SOP का पूर्णतया पालन किया जा रहा है।

4.2– ठेकेदार/बिल्डर का यह भी दायित्व होगा कि वह अपने सुपरवाईजर आदि को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु भली–भांति शिक्षित करें।

4.3– ठेकेदार/बिल्डर द्वारा स्थल पर समुचित संख्या में टायलेट आदि की व्यवस्था की जायेगी तथा उनकी सफाई का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

4.4– Disinfection हेतु निर्धारित मानक SOP के अंत में संलग्नक–4 के रूप में उपलब्ध है, जिनका पालन ठेकेदार/बिल्डर को अनिवार्य रूप से करना होगा।

4.5– प्रत्येक कार्मिक को साबुन तथा सेनिटाईजर उपलब्ध कराया जायेगा।

4.6– गर्भवती महिलायें, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा विभिन्न जटिल बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों का उनके आवास से बाहर निकलना (मैडिकल इमरजेन्सी को छोडकर) अनुमन्य नही होगा।

4.7– ठेकेदार/बिल्डर तथा स्थल पर कार्यरत प्रत्येक कार्मिक को भारत सरकार का आरोग्य सेतु एप प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

4.8– हाथ धोने हेतु Pedal से संचालित व्यवस्था को प्राथमिकता दी जायेगी जिसमें साबुन तथा टैप आदि को हाथ से छूने की आवश्यकता न हो।

4.9– बिल्डर/ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी श्रमिक/कार्मिको को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो।

4.10– ऐसे प्रोजेक्टस्, जिनमें आंशिक रूप से अध्यासन हो चुका है, उनमें सामान्यतः निर्माण प्रारम्भ करने की अनुमति नही दी जायेगी। केस–टू–केस प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

4.11– निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करने एवं प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

4.12– कार्य स्थल में दो पारियों (शिफ्ट) के बीच एक घंटे का अन्तर होगा और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिये कर्मचारियों द्वारा दोपहर के भोजन को पृथक एवं निलम्बित रूप से किया जायेगा।

4.13– परियोजना स्थल के कन्टेंनमेंट जोन में आने पर तत्काल प्रभाव से कार्य रूकवाते हुये प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन को सूचित किया जायेगा।

4.14– लॉकडाउन से सम्बन्धित समस्त दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त निर्माण हेतु आवश्यक अन्य विधानों के समस्त विधिक उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4.15– परियोजना स्थल पर दिशा–निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर पूर्ण सहयोग किया जायेगा।

4.16– भारत सरकार/राज्य सरकार/स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन, गाजियाबाद द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4.17– पुनः निर्माण प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में किसी जानकारी हेतु निम्न अधिकारियों से दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है :–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री संतोष कुमार राय	सचिव	8826662850
2	श्री वी0एन0 सिंह	मुख्य अभियन्ता	9654003111
3	श्री आशीष शिवपुरी	मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक	7290068620
4	श्री एस0के0 सिन्हा	अधिशासी अभियन्ता	9999810546
5	श्री अरविन्द कुमार चौधारी	अधिशासी अभियन्ता	8191002904
6	श्री के0के0 गौतम	नगर नियोजक	7500161161
7	श्री राजीव रतन शाह	नगर नियोजक	7290060578
8	श्री प्रशान्त गौतम	सहायक अभियन्ता	7290027956
9	श्री अजीत कुमार	सहायक अभियन्ता	7290046145

——————————————XXXX——————————————